— अपीलांट

बनाम

रामस्वरूप उर्फ रामकिशोर पुत्र रामसहाय जाति खाती निवासी सैमली तह0 नगर जिला भरतपुर

— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट0

निर्णय दिनांक 06/02/2018

अपीलाण्ट ने यह अपील नामान्तरकरण संख्या 1936 बाके ग्राम सैमली तह0 नगर के सरपंच ग्राम सैमली के निर्णय दिनांक 05.08.2015 से व्यथित होकर इस आशय की प्रस्तुत की है कि आ.ख.नं. 338/0.39 बाके ग्राम सैमली रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की भूमि है जिसका उक्त खातेदार द्वारा दिनांक 13.05.2014 को अजीतसिंह, वीरसिंह, नरेश कुमार पुत्रान रामजीलाल जाति खाती निवासी ग्राम सैमली तह0 नगर के पक्ष में करा दिया था । सरपंच ग्राम पंचायत सैमली द्वारा उक्त बयनामा का नामां0 संख्या 1936 अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णित कर दिया जिससे अपीलाण्ट को सख्त हकरलफी है । नामां0 संख्या 1936 कानून व न्याय सिद्धान्त के विरुद्ध है, अपीलाण्ट द्वारा वि0आ0 की बावत् बंटवारे का दावा पूर्व में ही प्रस्तुत किया जा चुका था जो न्यायालय में विचाराधीन है जिसका सरपंच ग्राम पंचायत सैमली ने कोई ध्यान नही दिया है तथा मौके पर क्रेतागण का कब्जा नही है । ऐसी सूरत में सरपंच ग्राम पंचायत सैमली की आज्ञा दिनांक 06.10.2015 निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में निवेदन किया है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत सैमली का आदेश दिनांक 06.10.2015 नामा0 संख्या 1936 निरस्त फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया । हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी तथा पत्रावली एवं विचाराधीन नामां0 संख्या 1936 का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । नामां0 संख्या 1936 बाके ग्राम सैमली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह नामां0 पटवारी द्वारा बयनामा दिनांक 13.05.2014 के आधार पर आ0ख0नं0 238/0.39 बाके ग्राम सैमली का विक्रेता राम स्वरूप उर्फ रामसहाय कौम खाती सा0देह खातेदार के स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी
नगर [भरतपुर] राज0

नकल स्वीकार है-

संख्या .... दिनांक 05.08.2015 ...

(9–13) सर्व सम्मति से स्वीकार है । पटवार रिकार्ड में अंकन किया जावे ।" इस प्रकार नामां० संख्या 1936 का निर्णय दिनांक 05.08.2015 को किया जाना साबित होता है जबकि अपीलाण्ट द्वारा अनुतोष चाहा है कि – "अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर सरपंच ग्राम पंचायत सैमली का आदेश दिनांक 06.10.2015 दाखिल खारिज संख्या 1936 निरस्त फरमाया जावे । इसके साथ ही अपीलाण्ट ने सरपंच ग्राम पंचायत सैमली को भी पक्षकार बनाया है जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट ने कोई अनुतोष नही मांगा है । इस प्रकार उक्त समस्त विवेचन से प्रस्तुत अपील निराधार एवं विधि विरूद्ध होना साबित है जो स्वीकार किये जाने योग्य नही है । अतः आदेश है कि –

अपील अपीलाण्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर

निर्णय आज दिनांक 06/02/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर

उद्योग स्वीकार है-